

Violence

Information and advice from Victim Support

हिंसा

विक्टिम सपोर्ट से सूचना और सलाह

हिंसा का क्या मतलब है?

हर वर्ष अपराध के शिकार और धमकाए जाने वाले लोगों की कुल संख्या द्वाइ मिलियन है। शारीरिक हमलों की तरह, धमकी देना और गाली देकर परेशान करना भी हिंसा है। हिंसा कहीं भी हो सकती है - घर पर, रास्ते पर किसी क्लब और पब (शराबखाने) में, और काम की जगह पर। कुछ तरह की हिंसा, जैसे कि घरेलू हिंसा और जातिवाद से प्रेरित हमले, कुछ खास तरह के समूहों को प्रभावित करते हैं। अक्सर, हिंसा करने वाला व्यक्ति वह होता है जो उसके शिकार हुए व्यक्ति से परिचित होता है।

धमकी मिलना या हमला होना एक डरावना अनुभव होता है। किसी को भी डर कर रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को ताज्जुब होता है कि वे धमकी पाने या हमले के शिकार बनाए जाने पर कितनी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसे अनुभव का असर लम्बे समय तक चल सकता है, खास तौर से अगर आपको इस बात का डर हो कि आप पर दोबारा हमला होगा।

हिंसा के दुख के बारे में किसी से बात करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों को किसी समझदार व्यक्ति से बात करने पर अच्छा लगता है।

विक्टिम सपोर्ट किस तरह मदद कर सकती है

विक्टिम सपोर्ट एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चैरिटी यानी परोपकारी संस्था है जो हर साल अपराध से प्रभावित लोगों की सहायता करती है। हम हर वर्ष हिंसा के शिकार बने हज़ारों लोगों की मदद करते हैं। हमारे वालंटियर्स यानी स्वयंसेवकों को धमकाए गए या हमले के शिकार लोगों को जानकारी तथा उपयोगी और भावनात्मक सहारा प्रदान करने की खास तरह का प्रशिक्षण मिलता है।

यह सेवा गोपनीय ढंग से प्रदान होती है, यह मुफ्त है और सभी को उपलब्ध है।

आम तौर पर, पुलिस अपराध के शिकार लोगों का विक्टिम सपोर्ट से संपर्क जोड़ती है। लेकिन चाहे आप पुलिस से अपराध की शिकायत करना चाहते हैं या नहीं और चाहे अपराध जब कभी भी हुआ है, आप भी हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

अगर आप हमले की शिकायत करने का निर्णय करते हैं, तो अगर आप चाहें, तो हमारे वालंटियर्स आपके साथ पुलिस स्टेशन या कोर्ट यानी अदालत जा सकते हैं। वे आपको अदालत की कार्यप्रणाली और क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन देने की जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको कोई और मदद चाहिए, तो वे आपको अन्य संगठनों से संपर्क करने में भी सहायता दे सकते हैं।

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार हैं जिसपर हमला हुआ है या धमकी मिली है, तो आप भी हमसे मदद ले सकते हैं।

घायल हुए लोग

अगर आपको हमले के दौरान चोट लगी है, तो हमेशा ही यह अच्छा होगा कि आप मेडिकल सलाह लें। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी चोट लगी हो, लेकिन, इस वजह से कि आपको बहुत धक्का पहुँचा है, आपको इसका पहसास ही न हो पाए।

घायल होने के कारण अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने नियोक्ता को इसके बारे में बताना चाहिए। हो सकता है कि वह आपसे कहे कि आप खुद ही अपने आपको बीमार होने की हालत का सबूत देने के लिए एक सैल्फ़-सर्टिफिकेशन फ़ॉर्म (self-certification form) भरने को दे या यह सिद्ध करने के लिए कि आप सचमुच बीमार हैं, आपसे कहे कि आप अपने डॉक्टर या अस्पताल से एक सिक नोट (बीमार होने का दस्तावेज़) लाएँ।

अगर आप चार या उससे ज़्यादा दिनों तक बीमार रहते हैं, तो हो सकता है कि आप स्टैट्युटरी सिक पे (एस एस पी) (Statutory Sick Pay - SSP) के हक़दार हों। हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के अनुसार आपका नियोक्ता आपको इससे भी ज़्यादा पैसे दे सके।

बेनिफ़िट्स के बारे में अधिक जानकारी बेनिफ़िट्स एजेंसी (Benefits Agency) (लोकल ऑफ़िस और मुफ़्त में फ़ोन करने के नंबर फ़ोन बुक में हैं) या आपके लोकल सिटिज़न एडवाइस ब्यूरो (सी ए बी) (Citizens Advice Bureau (CAB)) से उपलब्ध है।

पुलिस से अपराध की शिकायत करना

पुलिस से शिकायत करने या न करने का निर्णय आपका है। पहले किसी से, उदाहरण के लिए विक्टिम सपोर्ट के किसी वालंटियर से, इसके बारे में बात कर लेना सहायक हो सकता है।

अगर आपको क्रिमिनल इंजरीज़ कॉम्पेंसेशन (Criminal Injuries Compensation) क्लेम करना है, तो यह ज़रूरी है कि आपने अपराध होते ही पुलिस से शिकायत की हो (कॉम्पेंसेशन के बारे में अधिक जानकारी इस पत्रक में आगे दी गई है)। ऐसा नहीं है, तो आप बाद में भी पुलिस से शिकायत करने का निश्चय कर सकते हैं।

संभव है कि पुलिस आपसे बयान ले और अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, चेतावनी दी गई है या किसी पर आरोप लगाया गया है, तो पुलिस को आपको इसकी सूचना भी देनी चाहिए।

अगर हमलावर आपको फिर कभी धमकी दे या तंग करे, तो इसके बावजूद कि आपको इसका डर हो कि वह सचमुच कुछ कर देगा, आपको हमेशा ही पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि आपकी यह सूचना महत्वपूर्ण हो, जैसे कि उस समय जब अपराधी बेल के लिए आवेदन करे।

पुलिस जब किसी पर आरोप लगाती है वह क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (Crown Prosecution Service) को सबूत भेज देती है जो इस बात का निर्णय लेती है कि क्या मामले को अदालत के सामने ले जाना चाहिए या नहीं।

अदालत जाना

अगर आपका मामला अदालत के सामने जाता है, तो उसकी सुनवाई की तारीख़ मिलने में कई दिन लग सकते हैं। अधिकतर मामले, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सुने जाते हैं। अधिक गंभीर मामलों की सुनवाई क्राउन कोर्ट में होती है।

अगर जिसपर अपराध का आरोप लगा है, वह अपराध कबूल कर लेता है, तो हो सकता है कि आपको गवाही देने के लिए न कहा जाए, लेकिन आपको अदालत में सुनवाई की तारीख़ बताई जानी चाहिए ताकि आप अगर चाहें, तो कोर्ट जाकर सुनवाई में उपस्थित हो सकें।

अगर अपराध का आरोप लगा व्यक्ति अपराध कबूल नहीं करता है, तो साधारणतः आपसे हादसे के बारे में बताने के लिए कोर्ट में आकर गवाही देने को कहा जाएगा। अगर आपको कोर्ट में गवाह बनने की ज़रूरत होगी, तो पुलिस आपको इसकी सूचना देगी। अगर ऐसा होता है, तो आपको अकेले ही अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें, तो अपने साथ अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ले जा सकते हैं।

इंग्लैंड और वेल्स के हर अपराधिक अदालत (क्रिमिनल कोर्ट) में विक्टिम सपोर्ट एक विटनेस सर्विस चलाती है। यह सेवा, अपराध के शिकार लोगों और गवाहों को कोर्ट के संबंध में सहारा और सूचना देती है।

विटनेस सर्विस आपके कोर्ट जाकर देखने का प्रबंध कर सकती है ताकि आपके मामले की सुनवाई के पहले, आप कोर्ट जाकर देख सकें। वह सुनवाई के पहले और उसके दौरान आपके लिए किसी खामोश जगह में इंतज़ार करने की जगह भी ढूँढ़ सकती है और आपके खर्चों के दाम वसूलने के फ़ॉर्म भरने में भी आपको मदद दे सकती है।

अदालत में गवाही देने जाने के लिए बुलाए जाने पर आपको विटनेस सर्विस के बारे में *Going to court* (अदालत जाना) नाम का पत्रक भेजा जाएगा।

क्षतिपूर्ति

हिंसा के शिकार हो जाने के कारण यह संभव है कि आप क्रिमिनल इंजरीज़ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपने बिना देरी किए हुए, पुलिस से अपराध की शिकायत कर दी हो। क्षतिपूर्ति क्लेम करने के बारे में विक्टिम सपोर्ट आपको अधिक जानकारी दे सकती है और आपके लिए उसे पाने के लिए आवेदन फ़ॉर्म भी भर सकती है।

क्षतिपूर्ति के दूसरे तरीक़े भी अपनाये जा सकते हैं। कोर्ट के पास आधिकार होता है कि वह आपके हमलावर को आपकी क्षतिपूर्ति का आदेश दें, और आपसे पुलिस को पूछ-ताछ करनी चाहिए ताकि कोर्ट के पास इसकाष निर्णय लेने के लिए सूचना मिल सके।

दूसरा रास्ता यह है, कि हो सकता है कि आप प्राइवेट प्रॉसिक्यूशन कर सकते हैं या क्षतिपूर्ति के लिए अपराधी के खिलाफ़ सिविल कोर्ट में मुकद्दमा दायर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको किसी सॉलिसिटर (वक़ील) से क़ानूनी सलाह लेनी चाहिए। क्लेम करने के दामों में फ़र्क हो सकता है। कोई भी समझौता करने के पहले, पता कर लीजिए कि आपको कितने दाम देने पड़ेंगे।

अपराधी की रिहाई

अगर अपराधी को एक साल या इससे अधिक समय के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके रिहा होने पर आपको सूचित कर दिया जाना चाहिए, तो आपको प्रोबेशन सर्विस (Probation Service) को ऐसा करने को कह देना चाहिए। आप इसके बारे में अपनी चिंताएँ भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको चिंताएँ, अपराधी की रिहाई को प्रभावित कर सकती हैं। अपराधी को सज़ा मिलने के बाद, आपको पुलिस से इसके बारे में पत्रक मिलना चाहिए।

अगर आपको उस समय सहारे की ज़रूरत हो, तो आपकी लोकल विक्टिम सपोर्ट की शाखा आपको मदद दे सकती है।

क्रिमिनल इंजरीज़ कॉम्पेंसेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित से संपर्क कीजिए।

Criminal Injuries Compensation Authority
Tay House, 300 Bath Street,
Glasgow G2 4LN
फ़ोन : 0800 358 3601
www.cica.gov.uk

अपनी लोकल विक्टिम सपोर्ट शाखा से संपर्क कीजिए

Victim Supportline
0845 30 30 900

विक्टिम सपोर्टलाइन आपको अपनी लोकल विक्टिम सपोर्ट शाखा से संपर्क भी करा सकती है।

Hindi
January 2003
जनवरी २००३



विक्टिम सपोर्ट द्वारा प्रकाशित
अध्यक्षा एच आर एच द प्रिसेस रॉयल

Victim Support National Office, Cranmer House,
39 Brixton Road, London, SW9 6DZ
टेलिफ़ोन : 020 7735 9166 फ़ैक्स : 020 7582 5712
वैबसाइट : www.victimsupport.org

चैरिटी रजिस्ट्रेशन : 298028 कम्पनी नंबर : 2158780
वैबसाइट इंग्लैंड में लिमिटेड बाई गारंटी के रूप में पंजीकृत
वैबसाइट रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता ऊपर दिया हुआ है

जनवरी 2003